24/8/2021 पत्रावली किनांक 20.08.2021 का अवकाश होने से आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि जमाबन्दी 2055–58 में प्रार्थी गणेशनारायण पुत्र ईश्वरलाल के नाम वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो सही है। परन्तु जमाबन्दी 2075–78 में मेरे नाम को दो टुकडो में विभक्त कर गणेश पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/6, नारायण पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/6 गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी 2055–58 व राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम को दो टुकडो में विभक्त कर गणेश पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/6, नारायण पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/6 गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम गणेशनारायण पुत्र ईश्वरलाल व वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है की पुष्टि जमाबन्दी 2055–58 व राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता जिनमें सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
नीमकाथाना	खाता सं0 2	गणेश पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/6, नारायण पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/6	गणेशनारायण पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/3

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)